भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं0 16-3/2003-बीएस II/खण्ड VI **दिनांक 1 दिसंबर,2006**

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा प्रदाताओं को एसएमएस आधारित सेवाओं सहित शार्ट कोडों के आवंटनार्थ दिशा-निर्देश।

एनएनपी-2003 के परिशिष्ट के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 30 नवंबर, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, मुझे अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके नेटवर्क के भीतर सेवा प्रदाताओं को एसएमएस आधारित सेवाओं सहित शार्ट कोडों के आवंटनार्थ निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

(i) सभी अभिगम सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क के भीतर सेवा प्रदाताओं को एसएमएस आधारित सेवाओं सहित शार्ट कोडों के आवंटन हेतु स्तर"5" का ही प्रयोग करें।

(ii) सभी मौजूदा 4 अंकीय शार्ट कोडों को 5 अंकीय कोडों में परिवर्तित करने के लिए उनके पूर्व "5" लगाएं।

(iii) सभी मौजूदा 5 ओर 6 अंकीय शार्ट कोडों के प्रथम अंक अथवा प्रथम दो अंकों को क्रमशः "5" द्वारा तथा इसी प्रकार के अंकों से प्रतिस्थापित करके "5" अंकीय कोडों में परिवर्तित किया जाए। यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसे अंतिम आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग के ध्यान में लाया जाए जिसका निर्णय अंतिम और सभी स्टेकहोल्डरों के लिए बाध्यकारी होगा।

(iv) नए शार्ट कोडों के साथ पुराने शार्ट कोडों के सामानांतर रुप से कार्य करते रहने की अनुमति इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से छः महीने के लिए होगी।

(राज0के0 कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :-
1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी), खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (एएस)/(सीएस)
4. सभी एकीकृत अभिगम/बुनियादी/सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रचालक।
5. उप महानिदेशक (डीएस) को कृपया सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए।

177